

0860/आर.टी.आई./08/17-18

राष्ट्रपति सचिवालय  
PRESIDENT'S SECRETARIAT

आर.टी.आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.

Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.

24 अगस्त 2017

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

महोदय,

RTI  
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री आर. एस. किसान का दिनांक 04.08.2017 का आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2017 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹ 10/- (रूपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

भवदीय

जे. जी. सुब्र

(जे. जी. सुब्रमणियन)

उपसचिव और के. लो. सू. अ.

दूरभाष: 011-23015321

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री आर. एस. किसान

ख-38, भवानी नगर, जयपुर


राजस्थान-302039.

वांछित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः आपका पत्र संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त कार्यालय से सीधे संपर्क करें।

Scan & send to  
1. AEE (Roll) Sr. G. Deopur  
2. BE (RO) Sr. G.  
3. US / Mr. Sr. D. 2 P. M. Sr.  
4. Mr. Sr.

जे. जी. सुब्र  
उपसचिव और के. लो. सू. अ.

EX-18  
601 (REV)



"ॐ"

जयपुर  
[राजस्थान]



सेवामें,

"जय श्रीराम"

आर.एस.किसान  
ख-38 भवानी नगर,  
जयपुर राजस्थान  
9829540160  
दिनांक -

भारतीय डाक सेवाओं के माध्यम से भर्षना पत्र (RTI) Application  
राजस्थान राजस्थान राजस्थान Secretariat  
(एच.एस.डी.ओ.) जयपुर (RTI) Section  
जादवी सं./By. No. 860/RTI/17-18  
दिनांक Date 23-8-17  
हस्ताक्षर Signature

(1A) श्रीमान संयुक्त सचिव!  
महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय  
राष्ट्रपति - भवन  
भारत - सल्ला  
नई दिल्ली

- (1) महामहिम राष्ट्रपति महोदय,  
राष्ट्रपति भवन - दिल्ली।
- (2) आदरणीय प्रधानमंत्री जी,  
भारत सरकार नई दिल्ली।
- (3) महामहिम राज्यपाल महोदय,  
राजस्थान/अन्य राज्य.....।
- (4) आदरणीय मुख्यमंत्री जी,  
राजस्थान/अन्य राज्य.....।
- (5) आदरणीय मंत्रीगण जी,  
राजस्थान/अन्य राज्य.....।
- (6) आदरणीय लोकायुक्त महोदय,  
राजस्थान/अन्य राज्य.....।
- (7) माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,  
उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय  
दिल्ली।
- (8) आदरणीय/श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय,  
सचिव महोदय.....।

FILE DESPECTH NUMBER  
NO: 538  
14.08.2017

“जय-भारत”  
“जय-हिन्द”

“सर्वप्रथम 15 अगस्त की  
बधाई एवं प्रणाम (सोना)।”

विषय :- (1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध  
कराने बाबत।

(2) संलग्न अखबार में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति के  
सम्बन्ध में आर.टी.आई. पत्र सूचना।

(3) आर.टी.आई. शुल्क रु.10.00 आई पोस्टल आर्डर नम्बर

40F  
795500

(4) भारत के HIGHWAY'S पर TOLL TAX  
NAKAS पर निर्धारित शुल्क + शुनाफा  
से दृग्गती बरुली के वादगी 11 देवदर की  
अंध वधती चालू है। गुलत बन्द करणे P.T.O

e-521056

आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वांछित सूचना 30 दिन में  
उपलब्ध करावे :- प्रश्नों की सूची निम्न वर्णित है।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

सादर।

भवदीय

आर.एस.किसान  
ख-38, भवानी नगर,  
जयपुर, राजस्थान

ॐ

# जय-श्रीराम

आर.एस.किसान  
ख-38, भवानी नगर,  
जयपुर, राजस्थान  
9829540160  
दिनांक -



पत्र डिपेच लाव्या = 506  
दिनांक := 140817

✓ सेवामें

- ✓ (1) महामहिम राष्ट्रपति महोदय  
राष्ट्रपति भवन - दिल्ली।
- ✓ (2) आदरणीय प्रधानमंत्री जी,  
भारत सरकार नई दिल्ली।
- ✓ (3) महामहिम राज्यपाल महोदय,  
राजस्थान/अन्य राज्य.....।
- ✓ (4) आदरणीय मुख्यमंत्री जी,  
राजस्थान/अन्य राज्य.....।
- ✓ (5) आदरणीय मंत्रीगण जी,  
राजस्थान/अन्य राज्य.....।
- ✓ (6) आदरणीय लोकायुक्त महोदय,  
राजस्थान/अन्य राज्य.....।
- ✓ (7) माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,  
उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय  
दिल्ली।

विशेष - " देवानी जनता  
से अवेच वषणी  
का 9 अरबा"  
एसा का अवेच  
का सवत वडी  
आपिक अपराध  
पुकारा। नेशक  
से एसा का 125  
करी जनता को  
-याय दिलावे"

इन निवेदन  
पत्रा  
" राजादेवजी 22 घण्टे से  
-याय दिलावे। इसको  
लोप आर व न्याय का  
बतावा है करे से"

9

✓ (8) आदरणीय / श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय,  
सचिव महोदय,  
श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय / एस

विषय सचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना  
उपलब्ध कराने बाबत :- RS: 10200 Fee 1 P.O.N  
40F = 795500

9 " देवा से 1 दीलक - जाय या वाहनी  
से 10 वर्ष से अवेच वषणी वषत।  
आपें आरसेय सादेन करेगा"



आदर्श मद्यमाला वाट्रपतिजी, 21-08-17  
सावर प्रणाम पूर्ण स्वर्ग-निर्वास  
“ देश को चन्द ठेकदारों से छुटने से बचाओ ”

विषय: “ राजस्थान तथा समस्त भारत में;  
“ टोल-नाकों पर टोल वसूलियाँ;  
पूरी होने तथा “ सुनाफा ” पर;  
पहल देने के बाद भी टोल;  
टैक्स लेना लगाता जायेगा ”

महोदया/महोदय:

सविनय निवेदन पर है कि:-

- [1] राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचारपत्र की कटिंगों की छायाप्रति संलग्न की जाकर निवेदन है कि "टोल-टैक्स" नाकों पर "टोल टैक्स" वसूली मध्य सुनाफा पूरी हो जाने के बाद जो "टोल टैक्स" वसूली लगाता जा रही है।
- [2] टोल टैक्स वसूली का उद्देश्य जिन सुविधाओं को देकर था; वो सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं।
- [3] देश का योजना आयोग लगभग 10 वर्ष पूर्व यह स्वीकार कर चुका है; कि टोल टैक्स वसूली पूरी हो जाने के बाद भी लगभग 10 वर्षों से टोल टैक्स वसूली लगाता अवैध रूप से जारी है; - क्योंकि "RTI Act 2005" के तहत 30 दिनों में जवाब प्रथम उपलब्ध करावे।
- [4] देश प्रदेश में गाहनों की संख्या "दुगनी" हो चुकी है अर्थात् - टोल टैक्स काशी की अवैध रूप से वाशुना [निर्धारित वाशुना] वसूली जा चुकी है। "निर्धारित टोल टैक्स से P.T.O. दुगना "DOUBLE" वसूल/वसूली किया जा रहा है" बन्द करावे।

# ८८ जंय-भीएस

3

Key Point

(1) सड़क विकासकर्ता कम्पनी या ठेकदार द्वारा निर्यातित "टोलटेक्स" यशली किये जाके द्वारा मुनाफा कसुले लेने के बाद इसके यशुली का प्रकार राजस्थान विधानसभा में ठठ चुका है। इसके कसुले कार्यवाही नहीं लेना- बहुत बड़े मुहताचा- धोखा की आसका क्षाति है।

(2) टोल-टेक्स नाकी पर जनप्रतिनिधियों से की गई "बाकविति" के काफा उदारण प्रकारा में आ चुके है।

(3) देश में टोल-टेक्स राष्ट्रीय राजमार्ग पर उा है।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग पर "33" टोल-टेक्स नाके है।

(5) राजस्थान सरकार स्टेट हावने पर टोल टेक्स यशुली हनु ठेकदारों को खली घुट दे रणी है। केवलमात्र 40 कि०मी० की दूरी अन्तराल के बाद दूसरा "टोलटेक्स" नाका आजाता है।

(6) राजस्थान प्रदेश की सीमा से दूरे रण्यो के वाहन भी गुजरते हैं।

(7) टोल टेक्स नाकी पर आमतौर पर 2 कि०मी० की पाहनी की कतार लग जाती है, जिससे अमुन्ध समय एक एकड़े बड़े वाहनो का "आवो" तपथ का तेन्ध व्यर्थ रानी के रूप में ज्वल जाता है।

(8) राजस्थान में कोटरतली-शुडजाण टोल टेक्स राष्ट्रीय राजमार्ग का तो सामनाप उच्च न्यायालय लगभग 5 वर्ष दूरे लागत मुनाफे से दूबनी कसुली ले चुकी है।

P.T.O

(13) राजस्थान में पंजीकृत लिपटिया/चीपाटिया वाहनों का पंजीयन वर्षवार जिनपर टोल नामके से शुल्कने पर "टोल-टेक्स" वसूला जाता है:-

वर्ष	लिपटिया/चीपाटिया वाहन
२०११	३१,२२,५०५
२०१२	३३,५५,८२५
२०१३	३५,०६,१३३
२०१४	३८,५६,२७३
२०१५	३१,०६,७५१
२०१६	३५,१०,७१८
२०१७ (उभार)	१०,१२,८२० [वीजमाह उपलब्ध नहीं]

**RTI ACT-2005 के तहत निम्न सूचना उपलब्ध करावै - 15 किन्ड RTI सूचना मिलेगा**

- (1) देश प्रदेश में "टोल-टेक्स" वसूली योजना कब से लागू की गई है।
- (2) सड़क विकासकर्ता कंपनियों या ठेकेदारों के नाम की सूची उपलब्ध करावै।
- (3) "सड़क विकासकर्ता कंपनी" को टोल वसूली का ठेका कितने वर्ष का तथा कितने शर्तों पर दिया गया था निपटकारों की सूची या उते उपलब्ध करावै।
- (4) सड़क विकासकर्ता द्वारा निर्धारित रकम एवं मुनाफा कब तक वसूल कर चुका है।
- (5) सड़क विकास कर्ता किलनी रखी गया मुनाफा वसूला गया है।
- (6) सड़क विकास कर्ता द्वारा जो सुविधाएँ तथा सड़क विकास कार्य पूरा कर दिया गया है या नहीं?



# "जय श्रीराम"

VVIP

क्या गुजरात सरकार द्वारा छोड़े गए जॉब कार्ड को "टोक-टेकस" से छुड़ाने का दिनांक है

(1)

"राजस्थान विधान सभा" में मामला उठाने

VVIP

के कावसूद जी "टोक-नदली" बनेकने के काजत कौन विभाग जिम्मेवार है तथा "टोक-निर्णय" नहीं लेने के लिये कौन बड़े अधिकारी जिम्मेवार है उनका नाम एवं पदनाम बतावे

(2)

योजना आयोग [नीति-आयोग] द्वारा

VVIP

यह लक्ष्य लीकाल करने के काज की "टोक-टेकस" 10 वर्ष से अर्वांच हो रही है। क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई- रिपोर्ट सहित कथित करण

(3)

"एडवक विकासकर्ता कम्पनी / ठिकेदारों

राजस्थान का कौन-सा विभाग ठिकेदारों एवं पुरासागिक नियमों बलता है उन विभागों का नाम बताओ विभागों के विभागों चक्को के नाम एवं पदनाम की सूचना उपलब्ध करावे

(4)

क्या एडवक विकास कम्पनी के आय-व्यय

का CAG इनके द्वारा [AUDIT] वर्षवार किया जा चुका है RTI प्रश्न उपलब्ध करावे

(5)

"एडवक विकास कम्पनी द्वारा गत 15 वर्षों में

(1) कितनी राशी सेवा कर की जमा कराई है।

(2) कितनी राशी "आयकर" की जमा कराई है।

(3) कितने कर्मचारी कार्यरत हैं।

(4) कर्मचारियों का धरुए काज का एवं पालों की कितना गुजतान किया जाता है।

(5) एडवक विकासकर्ता कम्पनी के ठिकेदारों

के नाम-उनके कार्यालय-मुख्यालय की

वेबसाइटों से सूचना उपलब्ध करावे।

विशेष जयपुर (राजस्थान) सादर प्रणाम अर्पण

RTI-कॉल 40 F: 7955500

IP: 0 NO - 40 F: 7955500

40 F: 7955500

# वसली पटी होने और मुनाफा मिलने के बावजूद टोल लेना जारी पर जाए डाला फिर क्या टोल वसली

**पत्रिका**  
**टोल का**  
**सवाल**

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क  
rajasthanpatrika.com



### प्रदेश में वाहनों का गणित

वर्ष	कुल वाहन पंजीयन	शिपडिया-चौपटिया वाहन पंजीयन
2015	12378984	3106751
2014	11844430	2856273
2013	10072035	2506172
2012	6985568	2355825
2011	7956485	2127506

### साठ नहीं 30 किमी का फासला

हाईकोर्ट में चौपटिया पर सुकसाई के दौरान सावजन आ चुका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल का फासला 60 किमी है। जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनोहरपुर से दौलतपुर के बीच 30 किमी दूरी में ही टोल नाके हैं। जयपुर-आगरा के हाइवे पर भी टोल नाके हैं।

### ज्यादा वसली, फेर भी जारी

कोटप्रतली-गडगौर टोल बन्दना गली जयपुर-दिल्ली के हाइवे के बन्द में तो हाईकोर्ट में करीब चार साल पहले ही सामने आ चुका कि जयपुर-दिल्ली हाइवे पर टोल वसली हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक वसली का विचार दिया व भी वसली उठी।

### जसरे पट्टियों के भी आत ह ताहन

प्रदेश की टोल सड़कों से यहां के साथ ही अन्य प्रदेशों के वाहन भी गुजरते हैं। उनसे भी टोल वसली होती है। परिवहन से जुड़े लोगों के अनुसार हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के वाहन, भी राजस्थान से गुजरते हैं।

### पुलवती के पुल पर कतारें

टोल नाकों पर कतारें लगना आम है। जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई बार एक-सवा किमी तक लाइन लगने की शिकायत आती है। जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग भी इस समस्या से अछूता नहीं है। जयपुर-दिल्ली हाइवे सहित प्रदेश से गुजरने वाले कई राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाइवे भी इसी समस्या के शिकार हैं।

जयपुर प्रदेश में टोल वसली में झ झूल है। यह रह-रहकर सामने आता रहा है लेकिन वसली पर गाम नहीं लग पा रही। कहीं तय वसली पूरी होने और मुनाफा मिलने का बावजूद टोल लेना जारी है तो नहीं नियमानुसार सुविधाएं नहीं चलने के बावजूद वाहन चालक टोल चुकाने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि पहले योजना आयोग जन चक्र कि टोल को लाइन कुछ साल में निकलने के बावजूद वसली 10 साल या अधिक समय तक जारी रहती है। वाहनों की संख्या के साथ टोल वसली बढ़ने के बावजूद दर लगातार बढ़ रही है। इससे सड़क विकासकर्ता के लिए टोल व्यवस्था कमाऊ साबित हो रही है। विधानसभा में गुरुवार को टोल मुद्दे पर चर्चा जन प्रतिनिधियों से टोल नाकों पर हो रही 'दादागिरी' का कारण हुई, हकीकत यह है कि जयपुर कुछ साल में निकलने के बावजूद जनता की जब सं वर्षों उगाही चलती है। प्रदेश में 5 साल में तिपटिया और चौपटिया वाहनों की संख्या डेढ़ गुणा बढ़ी व टोल

वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र 31 है। नेशनल हाइवे पर 35 जगह टोल नाके हैं। जयपुर-गुडगांव राजमार्ग पर 3 जगह टोल नाके हैं। राज्य

सरकार स्टेट हाइवे पर टोल वसली के नियमों में उदार है। केवल 40 किलोमीटर दूरी पर दूसरा टोल नाका लगाने की छूट दे रखी है।


देवा की 12 फरॉड जनवा को चक्र डकेवा  
मासमापमा 1A 9 अफरॉड की मासमापमा  
विषय मासमापमा 1A 9 अफरॉड की मासमापमा  
मासमापमा 1A 9 अफरॉड की मासमापमा  
R.S. Kishan

“जयश्रीराम”  
आदणीप सटामरिम सटोइप.  
प्रशाम

“कीवीधर”  
रामनिद्रा अवाप्या  
प्रामजन्म अमे-  
या ही बनाप्ये है।  
शरित्तम आइया टाप  
जोवाइ अपना दाया मासमापमा

“देस से HIGHWAY पर टोल टैक्सनाको पर  
निर्धारित टैक्स से दुगना + मुनाफा दुगना बढ़ल  
करलेमे के बाद भी” अवेचामिक तरीके से  
(TOLL TAX) बढ़ल किया जा रहा है  
आप कृपया यह अवैध वसली  
को बन्द करमाये।

R.S. Kishan  
14-08-17






डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

भारतीय पोस्टल आर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्रीमान संयुक्त लघिषु  
भारत सरकार  
राष्ट्रपाति लघिवालुय दिल्ली को  
दस रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिखें।  
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HEREIN.

AT THE POST OFFICE AT

६२०

के डाकघर में अदा करें।

रामवीर सिंह डिवायन  
एन-३८ अग्रणी नगर  
प.क.।. रोड-उ.प्र.

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE.

40F 795500

बीज-५१७-३०२०३९

प.क.।. कार्यालय  
३६ ६५००००००

३५५५५

